न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–293/2022 दायर दिनांक: 24.11.2022
GCMS NO:- 2022/509 पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती प्रीति मीणा

1. कृष्णा देवी पत्नी बाबूलाल जाति बलाई नि0 नैनवॉ हाल निवासी बजरंग बस्ती किशोरपुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
2. भूपेन्द्र आ0 बाबूलाल जाति बलाई नि0 नैनवॉ हाल निवासी बजरंग बस्ती किशोरपुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

–प्रार्थीगण

बनाम

भूस्वामी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब नैनवॉ जिला बून्दी।

–अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 136 एल.आर एक्ट

उपस्थितिः–
प्रार्थीया की ओर से वकील श्री दिनेश कुमार पाण्डेय।

निर्णय दिनांक 30.05.2025

–निर्णय–

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कस्बा नैनवॉ द्वितीय प.म. नैनवॉ द्वितीय के खसरा नम्बर 2099, 2100, 2101, 2102, 2103 कुल किता 5 कुल रकबा 2.2006 हैक्टयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु दिनांक 01.03.2003 को हो चुकी है। यह कि बाबूलाल प्रार्थी संख्या 1 के पति व प्रार्थी संख्या 2 के पिता थे जिनका मूल नाम बाबूलाल था जिसका नाम सभी दस्तावेजों मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड मे बाबूलाल ही है लेकिन प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि की जमाबंदी मे संहवन से बाबूलाल की जगह बालूलाल दर्ज हो गया। बाबूलल के दो पत्नीयां थी एक लक्ष्मीबाई दुसरी कृष्णा देवी थी। तथा दो पुत्र लेखराज व भूपेन्द्र तथा तीन पुत्रियां सुमन, कुलदिपीका, बबली है।

यह कि बाबूलाल की मृत्यु के पश्चात जब फोती इन्तकाल खुला तो संह्वन से प्रार्थीया संख्या 1 का नाम कृष्णा देवी के स्थान पर गुड्डी बाई तथा प्रार्थी संख्या 2 भूपेन्द्र के स्थान पर बबलू दर्ज हो गया। कृष्णा देवी का घर का नाम गुड्डी बाई है और भूपेन्द्र का घर का नाम बबलू है। यह कि कृष्णादेवी एवं गुड्डी बाई एक ही महिला है तथा भूपेन्द्र एवं बबलू एक ही व्यक्ति है। इस नाम का कोई अन्य व्यक्ति गांव मे नहीं है। प्रार्थीगण को गलत इन्द्राज का पता नकल जमाबंदी निकलवाने पर पता चला। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है अतः प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार की भूमिं मे गलत दर्ज नाम को संशोधित कर गुड्डी बाई के स्थान पर कृणा देवी तथा बबलू के स्थान पर भूपेन्द्र नाम दर्ज किया जावे तथा बालू के स्थान पर बाबूलाल नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नैनवां ने पत्रांक/भु0अ0/25/2370 दिनांक 21.5.2025 द्वारा जवाव/रिपोर्ट पेश कर बताया कि ग्राम नैनवॉ द्वितीय के विरासत नामान्तरकरण संख्या 940 दिनांक 25.02.2016 से मृतक बालु पिता देव्या के स्थान पर लेखराज, बबलू पुत्र बालू, सुमन, कुलदिपीका, ववली पुत्रीयां बालु, लक्ष्मी बाई, गुड्डीबाई पत्नियां बालु हिस्सा जमाबन्दी अनुसार दर्ज हुआ। प्रार्थीगण नाम संशोधन हेतु नामान्तरकरण संख्या 940 की अपील सक्षम न्यायालय मे कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार की भूमिं मे गलत दर्ज नाम को संशोधित कर गुड्डी बाई के

स्थान पर कृणा देवी तथा बबलू के स्थान पर भूपेन्द्र नाम दर्ज किया जावे तथा बालू के स्थान पर बाबूलाल नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रस्तुत जवाब/रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया तथा पाया कि प्रार्थीगण फोती नामान्तरकरण मे गलत दर्ज हुए नामों का संशोधन करवाना चाहते है, उक्त नामान्तरकरण संख्या 940 की अपील सक्षम न्यायालय मे की जाकर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ